

# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेंगा हिल्स भोपाल

क्र. १५०२७

/22/वि-12/ग्रासप्रा/T-I/554/16

भोपाल, दिनांक 23/08/2016

:: आदेश ::

-0-

साधिकार समिति की 42वीं बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार विचलन एवं क्रस्ट उन्नयन के प्रकरणों की समीक्षा हेतु आदेश क्र. 5671 दिनांक 24.04.2012 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं—

यदि स्वीकृत लागत में वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक होती है तो उक्त समिति में अन्य विभाग के खतंत्र विषय विशेषज्ञ भी समिलित रहेंगे जो कि कम से कम मुख्य अभियंता रत्तर के होंगे।

(नीलम शमी राव)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/08/2016

१५०२८

पृ.क्र. /22/वि-12/ग्रासप्रा/GMT-5/Maint/16

प्रतिलिपि—

- मुख्य महाप्रबंधक—समस्त, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मुख्य महाप्रबंधक—वित्त, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
- वित्त सलाहकार/वित्त कंसलटेंट, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
- महाप्रबंधक—तक. (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
- महाप्रबंधक—समस्त, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
- निज राचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

भोपाल